

सं- सी-30019/2/2017-स्थापना-VI/549

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

कमरा सं 528 (उत्तर), सेवा भवन,
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066.
दिनांक: 29 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

श्री पी.के. सिंह,
923, सरस्वतीपुरम,
जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी कैम्पस,
नई दिल्ली- 110067.

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अन्तर्गत श्री पी.के. सिंह, नई दिल्ली- 110067 से
ऑनलाइन प्राप्त आवेदन।

मान्यवर,

कृपया अपने सूचना के अधिकार आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2017, जो कि स्थापना छः अनुभाग, केन्द्रीय जल
आयोग में दिनांक 21.12.2017 को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम से आपने विभिन्न बिन्दुओं के माध्यम
से सूचना माँगी है।

2. आपके द्वारा माँगी गई सूचना के सूचना के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि स्थापना छः अनुभाग,
केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में वांछित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :

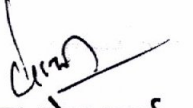
मद सं	माँगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
1.	पूर्व मंत्री, जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्री (सुश्री उमा भारती) के 6 अक्टूबर रोड़ आवासीय कार्यालय में कार्यरत जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय एवं मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं पीएसयु के पदस्त कर्मचारियों की जानकारी प्रदान करें।	
2.	पूर्व मंत्री, जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्री (सुश्री उमा भारती) के मंत्रालय बदले जाने के बाद 6 अक्टूबर रोड़ आवासीय कार्यालय में कार्यरत जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय एवं मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं पीएसयु (MOWR, CWC, WAPCOS, NPCC, CGWB, CSMRS,) के पदस्त कर्मचारियों को किस दिनांक को उनके मूल विभाग में भेजे गये आदेशों की फोटो कॉपी प्रदान करें।	स्थापना छः अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।
3.	पूर्व मंत्री, जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्री (सुश्री उमा भारती) के मंत्रालय बदले जाने के बाद 6 अक्टूबर रोड़ आवासीय कार्यालय में कार्यरत जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय एवं मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं पीएसयु (MOWR, CWC, WAPCOS, NPCC, CGWB, CSMRS,) के पदस्त कर्मचारियों को किस दिनांक को उनके मूल विभाग में भेजा गया उनके 1/09/2017 से 04/10/2017 तक की हाजरी की फोटो कॉपी या बायोमेट्रिक की उपस्थिति की फोटो कॉपी एवं जानकारी प्रदान करें।	

छः पर जारी.....

(Handwritten signature)

3. उपरोक्त, नियम 19(1) आर.टी.आई एक्ट 2005 के अनुसार प्रथम अपिलिए अधिकारी श्री एम. रघुराम, निदेशक, हाइड्रोलॉजी (नॉर्थ), 7वीं मंजिल (साउथ), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066 हैं।

भवदीय,



(सचिन देव वर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव

☎: 29583637

प्रति:

1. नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066.
With reference to his letter No. A-49012/8/2017/RTI/419, dated 18.12.2017.
- ✓ 2. The Dy. Director, SMD, CWC, New Delhi for uploading on website.